संख्या- 362 /2025/ 3620 /चार-2025- 1986846

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2025**

विषय:- केवड़िया, गुजरात में आयोजित 'भारत पर्व-2025' में संस्कृति विभाग उ0प्र0, द्वारा 'उन्नत संस्कृति-समग्र विकास' की थीम पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की विभिन्न व्यवस्थाओं पर हुए वास्तविक व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3538/सं0नि0-15(92)/2025-26, दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या 327/2025/3203/चार-2025-1986846 दिनांक 18 नवम्बर, 2025 के द्वारा केवड़िया, गुजरात में आयोजित 'भारत पर्व-2025' में संस्कृति विभाग उ0प्र0, द्वारा 'उन्नत संस्कृति-समग्र विकास' की थीम पर आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुति/कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय पर होने वाले व्यय की रु0 11,73,000/- (रु0 ग्यारह लाख तिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है एवं कलाकारों के आवास, भोजन, यातायात आदि पर हुए वास्तविक व्यय के आधार पर पृथक से प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। यह भी अवगत कराया गया है कि कलाकारों की 02 दिवसीय रिहर्सल लखनऊ एवं 01 दिवसीय रिहर्सल गुजरात एवं कलाकारों की लखनऊ से केवड़िया, गुजरात तक यातायात एवं अन्य व्यवस्थाओं पर हुये व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण के अनुसार बीजक भुगतान हेतु प्राप्त हुये हैं:-

क्र.सं.	बिल सं0 व दिनांक	फर्म का नाम	बिल धनराशि
1	484/2025-26/684-01.12.2025	उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी	70,800.00
2	M00888 / 15.11.2025	मे0 अपटूवर्स	9,55,500.00
3	क्रे-536-25 / 12.11.2025	मे0 होटल गोमती	11,025.00
4	1254, 1255, 1256/27.11.2025	मे0 होटल अनन्त	4,39,504.00
5	APPL260011/21.11.2025	मे0 अडेस्पेक्ट पीआर प्रा0लि0	72,735.00
6	264/27.11.2025	मे0 ड्रीम 360	5,57,515.00
7	251, 250, 249, 248, 247	मे0 एम0आर0 ट्रवेल्स	4,69,242.00
8	791/01.12.2025	मे0 फूडीज रेस्टोरेंट	1,16,002.00
9	48/09.11.2025	मे0 अनन्या इन्टरप्राजेज	91,228.00
10	24-25252660/15.11.2025	मे0 फेलीज इवेंट एंड हॉस्पिटेलिटी सर्विस	2,73,945.00
11	0243, 0244, 0245/28.11.2025	मे0 रिची रिच इवेंट एण्ड परमोसंस	81,613.00
योग (रूपये इक्कतीस लाख उनतालीस हजार एक सौ नौ मात्र)			31,39,109.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार केवड़िया, गुजरात में आयोजित 'भारत पर्व-2025' में संस्कृति विभाग उ0प्र0, द्वारा 'उन्नत संस्कृति-समग्र विकास' की थीम पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की विभिन्न व्यवस्थाओं पर हुए वास्तविक व्यय **रू0 31,39,109.00 (रू0 इकतीस लाख उनतालीस हजार एक सौ नौ मात्र)** की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि को संस्थान/ कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in